



न्यायालय माननीय श्रीमान् समादरणीय महोदय, राजस्व मण्डल  
मध्यप्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

प्र० क्र० :- / 2014 पुनरीक्षण याचिका R. 3722-II/14

श्री. ६/३२०१ श्री. २ शी. ५ स्वान, को. १/१६  
द्वारा आज दि. १०-११-१४ को  
प्रस्तुत

व. २०००  
१०-११-१४  
कलेक्टर, राजस्व मण्डल, म.प्र.

H. K. Sharma  
Harun Rashid (CWS)  
10-11-14

मोहनलाल पिता गोर्धनलाल आर्य  
आयु 46 वर्ष धंधा व्यापार निवासी  
कानड़ तहसील व जिला आगर म०प्र०  
.....आवेदक

विरुद्ध  
नगर पंचायत कानड़ द्वारा मुख्य  
नगर पंचायत अधिकारी, नगर पंचायत  
कानड़ जिला आगर म०प्र०

.....अनावेदक

माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय, जिला आगर मालवा के  
द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 26.  
08.2014 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 भू०रा०सं०

R 3722-14/14

कांग्रेस

24.11.2017

~~24.11.2017~~  
24.11.2017

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से श्री नवीन कुमार अपेक्षित उपस्थित। यह निगलनी म.प्र. नगर पाबको आधीनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही एवं आदेश से उद्भूत हुई है। उक्त आधीनियम के अन्तर्गत सुनवाई का अधिकांश इस आयाज्य को नहीं है। अतः यह निगलनी उक्त आयाज्य में प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है।

~~24.11.2017~~  
24.11.17

~~24.11.2017~~  
अध्यक्ष